समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)
पत्रांक 191 /

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी अंचल अधिकारी मधेपुरा जिला
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुरा जिला
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज
अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज

मधेपुरा, दिनांक 8.07.14 /

विषय :- **अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत किसी भी आकस्मिक संकट की सूचना अविलंब उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, 1958 के नियम 31 के तहत किसी भी आकस्मिक संकट का अविलंब प्रतिवेदन, सरकार को भेजने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि आये दिन प्राकृतिक आपदा के कारण हो रही जानमाल की क्षति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को समाचार पत्रों या जनता दरबार में आए शिकायत पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। हाल ही में वज्रपात से हुई मृत्यु के संबंध में समाचार पत्रों में छपी खबर के आधार पर जब कुमारखंड तथा सिंहेश्वर के अंचलाधिकारी से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मृत्यु हुई है, परन्तु इस आशय का कोई लिखित प्रतिवेदन आज तक अंचलाधिकारी सिंहेश्वर /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा नहीं भेजा गया है न ही अनुदान हेतु अभिलेख भेजा गया है।

इसी प्रकार कुमारखंड के विशनपुर सुंदर पंचायत अंतर्गत मनखाहा गाँव के वार्ड नं0-07 में सुरसर नदी से कटाव की सूचना पीड़ित परिवार द्वारा जनता दरबार में दिए जाने के उपरांत प्राप्त हुई। उक्त स्थल का भौतिक सत्यापन अंचलाधिकारी, कुमारखंड के द्वारा भी किया गया परन्तु कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। इस कारण सरकार को कोई स्पष्ट प्रतिवेदन राहत एवं बचाव हेतु नहीं भेजा जा सका है।

अतएव सभी क्षेत्र पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि आकस्मिक संकट /प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़, भूकम्प, कटाव, चक्रवातीय तुफान, अग्निकांड इत्यादि की सूचना अविलंब जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को दूरभाष (06476-222220) पर दर्ज करायी जाए तथा लिखित सूचना ई-मेल /फैक्स के माध्यम से भेजी जाए जिसमें घटना का प्रकार, घटना की तिथि, स्थान (पंचायत /गाँव /वार्ड इत्यादि की सम्पूर्ण विवरणी), घटना से प्रभावित व्यक्ति /व्यक्ति समूह की संभावित संख्या तथा जानमाल की हुयी क्षति का प्रारंभिक आकलन कर पूर्ण ब्यौरा अंकित हो। प्रारंभिक सूचना के तुरंत बाद यदि किसी प्राकृतिक आपदा के संबंध में अनुग्रह अनुदान या अन्य राहत देय हो तो अविलंब उचित माध्यम से अभिलेख भेजा जाए। इसके साथ-साथ प्रपत्र-IX में संबंधित अंचलों द्वारा बाढ़ संबंधी प्रतिवेदन सही-सही दर्ज कर भेजा जाए।

यह भी निदेश है कि सभी क्षेत्र पदाधिकारी आकस्मिक संकट /प्राकृतिक आपदा के संबंध में सूचना प्राप्त होते ही अविलंब स्थानीय जाँच के लिए प्रस्थान करेंगे तथा तत्काल यथोचित साहाय्य प्रदान करने की कार्रवाई करेंगे।

विश्वासभाजन
08/07/14
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।